न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2021

अपीलांट

विक्रमसिंह पुत्र पृथ्वींसिंहजी, जाति राजपूत, उम्र 65 वर्ष, निवासी मगरीवाड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

गंगासिंह पुत्र श्री रणजीतसिंहजी, जाति राजपूत उम्र 64 वर्ष, निवासी मगरीवाड़ा तहसील रेवदर, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/12/2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा प्रकरण सख्या 52/2018 बउनवान विक्रमसिंह बनाम गंगासिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा नोटिस लेने से मना करने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तामिल मानते हुए रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम मगरीवाड़ा तहसील रेवदर के खसरा संख्या 518 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा की जो भूमि स्थित है, उसमें सौभागसिंह, खुशवन्तसिंह पिसरान विक्रमसिंह का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्सा के खातेदारी से दस्तावेज संख्या 1326 दिनांक 17.10.2011 के द्वारा भभूतसिंह पुत्र जयसिंह का 1/6 हिस्सा, अमरसिंह पुत्र श्री जुझारसिंहजी का 1/6 हिस्सा तथा अनोपसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह का 1/18 वां हिस्सा व कल्याणसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह का 1/18 वां हिस्सा क्रय विक्रमसिंह अपीलांट द्वारा किया हुआ । इस तरह विक्रमसिंह का सम्पूर्ण 1/2 में 4/9 हिस्सा विधिवत् दर्ज है, जैसा कि राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निरीक्षक मगरीवाड़ा ने दिनांक 07.04.2021 को रिपोर्ट कर भूमिधारी रेवदर को प्रस्तुत की है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस अपील के साथ संलग्न है और रहा सवाल शेष खसरा संख्या 518 में गंगासिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह का उक्त खसरे में 1/18 वां हिस्सा है, जिसकी खातेदारी उद्घोषणा हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा किया, जबकि भौतिक रूप से 1/18 जो रेस्पोडेन्ट गंगासिंह का नाम दर्ज है, लेकिन भौतिक रूप से कब्जा तीन पीढ़ियों से अपीलांट का ही चला आ रहा है। व इससे पूर्व अपीलांट के पूर्वजों का था, जिसकी खातेदारी उद्घोषणा के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा किया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने यह लिखते हुए कि माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नही देने का निर्णय हो चुका है इसलिए अपीलांट का दावा खारिज कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को यह भी देखना चाहिये था कि केवल खातेदारी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही नही हो सकती बल्कि राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम की धारा 63(1)(4) के अनुसार कोई भी खातेदार नियत अवधि में विहित प्रक्रिया अपनाकर कब्जा लेने की कार्यवाही नही करता है। तो उसके खातेदारी हक अधिकार विधिवत अवसानित (खत्म) हो जाते है और जिसका कब्जा होता है उसके हक अधिकार खातेदारी के स्वतः ही उत्पन्न हो जाते है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में टिनेन्सी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर अपीलांट का दावा खारिज किया है जो निर्णय व डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। तथा अपीलांट को विधिवत खसरा संख्या 518 में गंगासिंह के 1/18 हिस्से की जगह अपीलांट को खातेदार कृषक घोषित करने की डिक्री प्रदान करावें।

साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट ने जो बतौर साक्ष्य अपना शपथ पत्र एवं स्वतंत्र गवाह शांतिराम, बगदाराम, पुनमाराम जो अपीलांट के अलावा स्वतंत्र गवाह ने अपीलांट के कब्जे की ताईद की है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा खारिज करके न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों पर गहरा कुठाराघात किया है। उक्तानुसार जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

साथ ही निवेदन किया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर पूर्वजों के समय से आज तक काश्त कर रहा है और उक्त भूमि पैतृक भूमि है। भाई बंटवाडें में घरेलू तौर पर बंटवाड़े में प्राप्त की है, तब से अपीलांट जमीन को बोता आ रहा है, किन्तु पूर्वजों द्वारा भौतिक बंटवाड़ा किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के नाम इन्द्राज नही हो पाया था तथा आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट गंगासिंह का नाम ही चला आ रहा है, जो इन्द्राज गलत है। गंगासिंह का इन्द्राज रेकर्ड से हटाया जाकर उसकी जगह अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में बिना विधिवत सुनवाई किये ही जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा वादी को वाद खारिज कर दिया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध गुणावगुण के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश पारित किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम मगरीवाड़ा तहसील रेवदर के खसरा संख्या 518 रकबा 3 बीघा 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बिस्वा की जो भूमि स्थित है, उसमें सौभागसिंह, खुशवन्तसिंह पिसरान विक्रमसिंह का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्सा के खातेदारी से दस्तावेज संख्या 1326 दिनांक 17.10.2011 के द्वारा भभूतसिंह पुत्र जयसिंह का 1/6 हिस्सा, अमरसिंह पुत्र श्री जुझारसिंहजी का 1/6 हिस्सा तथा अनोपसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह का 1/18 वां हिस्सा व कल्याणसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह का 1/18 वां हिस्सा क्रय विक्रमसिंह अपीलांट द्वारा किया हुआ । इस तरह विक्रमसिंह का सम्पूर्ण 1/2 में 4/9 हिस्सा विधिवत् दर्ज है, जैसा कि राजस्व निरीक्षक मगरीवाड़ा ने दिनांक 07.04.2021 को रिपोर्ट कर भूमिधारी रेवदर को प्रस्तुत की है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस अपील के साथ संलग्न है और रहा सवाल शेष खसरा संख्या 518 में गंगासिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह का उक्त खसरे में 1/18 वां हिस्सा है, जिसकी खातेदारी उद्घोषणा हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने को निवेदन किया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं साक्ष्य को मध्यनजर रखने से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर पूर्वजों के समय से आज तक काश्त कर रहा है और उक्त भूमि पैतृक भूमि है। भाई बंटवाडें में घरेलू तौर पर बंटवाड़े में प्राप्त की है, तब से अपीलांट जमीन को बोता आ रहा है, किन्तु पूर्वजों द्वारा भौतिक बंटवाड़ा किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के नाम इन्द्राज नही हो पाया था तथा आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट गंगासिंह का नाम ही चला आ रहा है, जो इन्द्राज गलत है। उक्तानुसार कथनों को अपीलांट स्वयं के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं गवाह द्वारा अपने बयानों में ताईद किया जा चुका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा प्रकरण सख्या 52/2018 बउनवान विक्रमसिंह बनाम गंगासिंह वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2021 को निरस्त कर यह आदेश दिया जाता है कि क्योंकि प्रश्नगत भूमि अपीलांट को पूर्वजों द्वारा आपसी बंटवारें अनुसार पूर्व में ही सुपुर्द की जा चुकी है उक्तानुसार मौजा मगरीवाड़ा तहसील रेवदर के खसरा संख्या 518 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में जो रेस्पोडेन्ट गंगासिंह का 1/2 में सें 1/18 वां हिस्सा सहवन से गलत इन्द्राज को दुरस्त करते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट का नाम विलोपित करते हुए अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली